भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,राजस्व विभाग

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय,

नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001

दूरभाष / फैक्स: **0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com**

सार्वजनिक सूचना सं.: 2/2017

वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 12015/47/2016-आईटी दिनांक 3.1.2017 में अधिसूचित मेड-अप (हस्तनिर्मित) के निर्यात पर राज्य लेवियों की छूट योजना (आरओएसएल-मेड-अप) के कार्यान्वयन हेतु सभी निर्यातकों / कस्टम दलालों / व्यापार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसके अलावा अनुसूची 3 में छूट की दरों को अनुसूचित करते हुए केंद्र सरकार (वस्त्र मंत्रालय) ने अधिसूचना सं. 12015/47 / 2016 आईटी दिनांक 15.03.2017 जारी की है इसके अतिरिक्त के.उ.एवं सी.शु. बोर्ड ने बोर्ड परिपत्र 08/2017 सी.शु. दिनांक 20.03.2017 जारी किया है जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश रूपरेखा उपलब्ध कराता है।

2. <u>मेड अप्स के लिए आरओएसएल योजना</u> :

आरओएसएल योजना में, केंद्र सरकार कच्चे धागे से लेकर तैयार मेड-अप तक पैकेजिंग, ईंधन, बिजली उत्पादन पर शुल्क एवं ग्रिड पावर की खरीद पर प्रभार सहित संचित उत्पादन पर राज्य के वेट/सीएसटी को शामिल करके राज्य लेवी की छूट प्रदान करती है। शिपिंग बिल में विशेष पसंद की मांग को छोड़कर अलग से आवेदन देने के लिए सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। प्रसंस्करण के बाद छूट की राशि निर्यातक द्वारा ड्राबैक हेतु दिए गए खाते में स्वचालित रूप से जमा हो जाएगी।

निर्यातक के लिए आरओएसएल योजना अनिवार्य नहीं है। अतः निर्यातक को (उपर्युक्त परिपत्र के तहत) दर और छूट की पात्रता की घोषणा के साथ आरओएसएल योजना के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के साथ छूट के लिए दावा करते हुए एक सचेतन विकल्प चुनना होगा।

3. <u>आरओएसएल योजना के लिए चयन:</u>

निर्यातक द्वारा वस्तु स्तर पर ड्राबैक निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट योजना कोड का प्रयोग करके पात्रता का दावा सह घोषणा की जानी है। आरओएसएल योजना के साथ क्रमबद्ध करने के विकल्प अलग-स्कीम-कोड के साथ निम्न सूची में उपलब्ध कराए जा रहे हैं:-

स्कीम कोड	विवरण
60	ड्राबैक और आरओएसएल
61	ईपीसीजी, ड्राबैक और आरओएसएल

ईडीआई शिपिंग बिल के लिए, निर्यात के समय में आरओएसएल योजना को शामिल करने वाली योजना-कोड का चयन ही पात्रता का दावा सह घोषणा माना जाएगा। ईडीआई शिपिंग बिल के लिए दावा करने का यह एकमात्र साधन होगा। दावा करने का दूसरा तरीका स्वीकार्य नहीं होगा। 23.3.2017 से पहले दायर किए गए शिपिंग बिल भी आरओएसएल के पात्र हैं। इस तरह के शिपिंग बिल, जिनमें ऊपर सूचीबद्ध किए गए स्कीम कोड का दावा नहीं किया गया है, को इस का लाभ उठाने के लिए एलईओ से पहले संशोधित करने की आवश्यकता होगी। उचित योजना कोड के अभाव में, आरओएसएल लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

4. <u>आरओएसएल छूट</u>:

छूट की राशि की गणना एफओबी मूल्य और आरओएसएल योजना में विनिर्दिष्ट छूट की दर एवं सीमा का प्रयोग करके की जाती है। (अधिक जानकारी के लिए सीबीईसी परिपत्र 08/2017- सी.शु. देखें). चूंकि यह योजना परिधानों के लिए आरओएसएल का विस्तार क्षेत्र है अतः परिधानों के लिए आरओएसएल में लागू होने वाले सभी परिवर्तन आरओएसएल मेड-अप के लिए यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होते हैं।

5. <u>आरओएसएल का लाभ सुनिश्चित करना</u>:

सिस्टम में सही दर्शाए गए विकल्प की पुष्टि करने हेतु निर्यातकों के लिए सिपिंग बिल की चैकलिस्ट एवं आईसीईजीएटीई में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

1. आरओएसएल राशि शिपिंग बिल लेवल के साथ-साथ उन वस्तुओं के लिए आइटम लेवल पर मुद्रित की जाती है, जहां स्कीम कोड देकर विकल्प का प्रयोग किया गया है।
2. इस प्रकार दावा किया जाने वाला विकल्प और कुल आरओएसएल राशि आईसीईजीएटीई वेबसाइट पर उपलब्ध एसबी जांच में परिलक्षित होती है।
3. घोषणा-सह-पात्रता नीचे दिए गए विवरणानुसार चेकलिस्ट पर मुद्रित की गई है

    मैं घोषित करता हूं कि, मैंने किसी भी अन्य तंत्र के तहत इन विशिष्ट राज्य लेवी के क्रेडिट / छूट / रिफंड / प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है या दावा नहीं करूंगा और मैं दावा की गई दर और छूट का हकदार हूं। आगे घोषित करता हूं कि कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), जहां लागू हो, का गठन किया जा चुका है।

आरईएस विक्रेता सुनिश्चित करें कि उनका आरईएस विवरण उपर्युक्त (1) और (3) में परिवर्तनों के अनुरूप है। एसबी मैसेज फॉर्मेट को तदनुसार संशोधित किया गया है।

6. <u>आरओएसएल संवितरण</u>:

आरओएसएल को परिधान के लिए आरओएसएल के समान तरीके से संवितरित किया जाएगा। शीघ्र संवितरण के लिए, निर्यातक सुनिश्चित करें कि ड्राबैक संवितरण के लिए पहले से पंजीकृत बैंक खाता चालू एवं वैध हो क्योंकि आरओएसएल की राशि का संवितरण भी ड्राबैक संवितरण बैंक खाते में ही किया जाएगा। संवितरण ड्राबैक के साथ-साथ लेकिन प्रथक किया जाएगा। हालांकि ईडीआई आरओएसएल स्क्रॉल को भुगतान के लिए सीधे बैंक को नहीं भेजा जाना चाहिए। संवितरण की स्थिति आईसीईजीएटीई पर अलग से प्रदर्शित की जाएगी।

उपरोक्त बदलाव 23 मार्च 2017 से प्रभावी होंगे।

व्यापार के सभी सदस्यों को इस पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।
(फाइल क्र.सं.VII / 09/01/2016-सी.शु. नीति दिनांक 23.03.2017 से जारी)

अशोक 10/04/2017
(अशोक)
आयुक्त

सेवा में,
1. मेलिंग सूची के अनुसार
2. आयुक्तालय की बैवसाइट
3. सूचना बोर्ड, तिरुच्चि

प्रतिलिपि प्रस्तुत:
मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि.